

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(नियम अनुभाग)

क्रमांक: प.2(1)वित्त / नियम / 2008

जयपुर, दिनांक :

11 DEC 2020

परिपत्र


राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के नियम 11(1)(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् सिविल सेवा में नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए एक नवीन योजना “सामान्य प्रावधायी निधि-2004 (जीपीएफ- 2004)” निम्नानुसार प्रतिपादित की जाती है:-

- दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को एसआईपीएफ पोर्टल में एक यूनिक आईडी - “एम्प्लाई आईडी” पहले से आवंटित है। नये कार्मिकों को उनकी नियुक्ति उपरान्त सेवा में कार्यग्रहण करने पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल में वांछित सूचनाएं फीड करने पर उक्त सिस्टम जनरेटेड एम्प्लाई आईडी आवंटित होती है।
- सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों के द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्यकर्मियों के बोनस की राशि के बिल आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत पे-मैनेजर/पी.आर. कार्ड में प्रस्तुत करने के उपरान्त संबंधित कोषाधिकारी के द्वारा पारित किये जाने पर बोनस राशि का 75 प्रतिशत अंशदान का विवरण वेब सर्विस के माध्यम से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के एसआईपीएफ पोर्टल को स्थानान्तरित किया जावेगा।
- उक्त योजना हेतु निम्न बजट मद आवंटित किया गया है:

8009 – राज्य भविष्य निधि  
01 – सिविल  
101 – सामान्य भविष्य निधि  
(03) – जी.पी.एफ. –2004

- राजकोष से वेबसर्विस के माध्यम से एम्प्लाई आईडी के आधार पर उक्त राशि संबंधित कार्मिक के खाते में क्रेडिट होगी।
- एम्प्लाई आईडी के आधार पर प्रथम बार राशि क्रेडिट होने पर एसआईपीएफ पोर्टल में “जीपीएफ-2004” योजना हेतु सिस्टम जनरेटेड खाता संख्या आवंटित होगी, जो भविष्य में उक्त कार्मिक के द्वारा किये जाने वाले सभी ट्रान्जेक्शन्स के लिए उपयोग में ली जावेगी।
- कार्मिक द्वारा Single Sign On के माध्यम से एसआईपीएफ पोर्टल में उक्त खाते के लिए मनोनीत का विवरण E-Sign का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किया जावेगा।
- उक्त योजना के अन्तर्गत आने वाले खातेदारों पर राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 का नियम 11(1)(i) एवं इन नियमों के अन्तर्गत वे समस्त प्रावधान, जिनमें वेतन से अनिवार्य अभिदान / कटौती का उल्लेख है, लागू नहीं होंगे।
- उक्त योजना के खातेदार अपने आहरण वितरण अधिकारी को एडवाइस प्रस्तुत कर इस योजना के खाते में एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से Online Deposit यूटिलिटी का उपयोग कर स्वैच्छा से अपनी वार्षिक परिलब्धियों की सीमा तक राशि जमा करा सकेंगे।
- उक्त योजना पेपरलेस व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित की जावेगी।

10. उक्त योजना के अन्तर्गत खातेदार को जमा राशि का लेजर देखने, आहरण प्राप्त करने एवं अन्तिम भुगतान की सभी कार्यवाही ऑनलाईन करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
11. उक्त योजना में जमा की गयी राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित दर के अनुसार सामान्य प्रावधायी निधि नियमों में उल्लेखित पद्धति के अन्तर्गत ब्याज राशि खातेदार के खाते में क्रेडिट की जायेगी।

  
(अखिल अरोरा)


प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
5. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
10. समस्त कोषाधिकारी।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा को 20 अतिरिक्त प्रतियों के साथ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

  
(एस.जॉड. शाहिद)  
संयुक्त शासन सचिव

(GPF- 01/2020)